

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

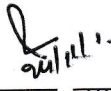
प्रथम पक्ष— शंभु साहु बगैरह ।

बनाम

वाद सं० 31/2021

द्वितीय पक्ष— उमेश साहु बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 24/11/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 10/2021 दिनांक 27/04/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) शंभु साहु उम्र 40 वर्ष पिता स्व० दिनदयाल साहु उर्फ पलटु साहु (2) सरिता देवी उम्र 32 वर्ष पति शंभु साहु दोनो ग्राम भागीडेरा थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) उमेश साहु उम्र 35 वर्ष पिता नरायण साहु (2) रेखा देवी उम्र 32 वर्ष पति उमेश साहु दोनो सा० भागीडेरा थाना बसिया जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उभय पक्षो के बीच उक्त वादगत की कार्यवाही अवधि में शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने एवं उक्त वाद की समय अवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 	


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।